राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 20 दिसम्बर, 1984

क्रमांक 1412-ज-(II)-84/34603.—श्री जागे राम, पुत्र श्री मेहरचद, गांव गोयलाकलां, तहसील झज्जर, जिला रोहतक (अब बहादुरगढ़) की दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए), (1ए) 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जागे राम को मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 340-ज-II-75/12125, दिनांक 8 मई, 1975 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती रामकौर के नाम खरीफ 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी० आर० तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

श्रम विभाग

दिनांक 3 दिसम्बर, 1984

क्रमांक 2(53)-83-2 श्रम.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टी हो गई है कि ईंट भट्ठा उद्योग में भर्ती के ढंग तथा नियोजन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए और सभी आम सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त उद्योग को अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मधार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के कुछ उपबन्धों से छूट देना ठीक तथा उचित है।

इसलिए अब हरियाणा के राज्यपाल अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 (1979 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निर्देश करते है कि उक्त धारा 14 तथा 15 (केवल वापसी यात्रा का किराया) के उपबन्ध हरियाणा राज्य में ईंट भट्ठा उद्योग में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

एम० मेठ,

विलायुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

LATE NOTIFICATION